



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

27 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 277 राँची, बुधवार,

17 मई, 2023 (ई०)

---

### कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

-----

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-07/कृ०स्था०-14/2016-862/कृ०--अधिसूचना सं०-2307 दिनांक-21.12.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-21 के उप नियम 21.3 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एवं उक्त अधिसूचना में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1499 दिनांक-13.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में निम्नलिखित संशोधन नियमावली गठित करते हैं :-

## 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) (संशोधन) नियमावली, 2023 कहलाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

## 2. झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियामवली, 2013 (यथा संशोधित) के नियम 9.2 में समावेशित निम्न प्रावधान "उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।" को विलोपित किया जाता है ।

## 3. झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियामवली, 2013 (यथा संशोधित) की शेष प्रावधान यथावत रहेगी ।

## 4. विभागीय संलेख जापांक-796 दिनांक-25.03.2023 के द्वारा "झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) (संशोधन) नियमावली, 2023" के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-27.03.2023 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अबुबक्कर सिद्दीख पी०,**  
सरकार के सचिव ।

-----